न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/380/2018

उनवान

1. वैभव कुमार पिता नवल किशोर बहेडिया निवासी कोठार मोहल्ला, शाहपुरा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. कीर्तन लाल पिता पन्ना चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
2. सीतादेवी पिता पन्ना चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
3. सोहनी देवी पत्नी पन्ना चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
4. रसाल देवी पुत्री पन्ना चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
5. इन्द्रा पुत्री पन्ना चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
6. सोजी पिता मोडा चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
7. रायमल पिता मोडा चमार निवासी बागथला, तहसील फुलियांकला, जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य, जरिये , तहसीलदार फुलियांकला जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, फुलियांकला के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 139/2016 निर्णय दिनांक 10.5.2018
अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विवेकानन्द,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि ग्राम बागथला पटवार हल्का ईटडिया तहसील फुलियांकला जिला भीलवाडा में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 155, 156, 157 व 158 व कुआ राजी चाह संख्या 165 स्थित है। जिसके पडौस में विपक्षी की कृषि की भूमि आराजी संख्या 179 व 180 भी स्थित है। जो कि राजस्व अभिलेख में वैभव पिता नवल किशोर बहेडिया कोठार मोहल, शाहपुर जिला भीलवाडा के नाम दर्ज है। प्रार्थी के स्वयं के खाते की जमीन आराजी संख्या 155 लगायत 158 व आता चाह संख्या 165 पर आने जाने हेतु 10 फिट चौडा रास्ता था इसी रास्ते से प्रार्थीगण पूर्व में सिंचाई व कृषि उपकरण लाते ले जाते थे । यह रास्ता आराजी संख्या 176, 177 व 181 की पूर्वी मेड से होकर व आराजी नम्बर 179 व 180 की पश्चिमी मेड से होकर निकलता था जिसे विपक्षीगणों ने बन्द कर दिया । आराजी संख्या 155, 156, 157 158 व कुआ आता चाह 165 पर आने जाने हेतु उपरोक्त रास्ते के अलावा कोई लघुतम व निकटतम रास्ता भ्झी नहीं है। लघुतम व निकटतम रास्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी यही है इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की आराजी संख्या 155, 156, 157 158 व कुआ आता चाह 165 पर आने जाने हेतु 10 फिट चौडा रास्ता छोडा जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगा अपने कुए व कृषि आराजियात पर आ जा नही सकेंगें तथा सिंचाई उपकरण बैलगारी, व अन्य उपकरण नही ला एवं ले जा सकेंगे। अतः आराजी नम्बर 179 व 180 में से होकर 10 फिट चौडा रास्ता छोडे जाने नियमानुसार राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलार्थी को तत्समय जानकारी नहीं हो पाई थी। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पर नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 24.9.2018 को पटवारी हल्का के पास नकल लेने गया तब हुई। तब अपीलार्थी ने निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 25.9.2018 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 155, 156, 157, 158 व 165 पर जाने का रास्ता अपीलाण्ट की आराजी संख्या 179 व 180 से होकर जाना बताया व उसको अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा बन्द करना बताया । जबकि अपीलाण्ट की आराजी से कोई रास्ता नहीं निकलता है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 अपनी आराजियात पर आराजी संख्या 221, 222, गैर मुमकिन रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 220 सरकारी भूमि पर होते हुए अपनी आराजियात पर आवागमन करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट्स को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेण्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए जो आदेश पारित करवाया है वह निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 9.3.2015 को एकतरफा कार्यवाही होना वर्णित किया है जबकि अपीलाण्ट पर कोई विधिवत तामील नहीं हुई है न ही प्रकरण में कोई सम्मन प्राप्त हुआ है । प्रकरण में अपीलाण्ट का सम्मन संजय सोमाणी को पुत्र बताते हुए दिया जाना बताया है जबकि अपीलाण्ट के दो पुत्र हैं जो अवयस्क है तथा उनके नाम नीलय बहेडिया व सिद्धार्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बहेडिया है, इस प्रकार प्रकरण में जो सम्मन अपीलाण्ट पर तामील होना बताया है वह अपीलाण्ट को प्राप्त ही नहीं हुआ है। इस कारण अपीलाण्ट को जानकारी नहीं होने से अपीलाण्ट/विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था तथा प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में निर्णित किया गया , जबकि अपीलाण्ट को कोई सूचना पत्र/सम्मन लोक अदालत कैम्प बाबत भी प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे भी लोक अदालत कैम्प में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है जिनमें पक्षकारान आपस में सहमत हों लेकिन अपीलाधीन प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तौर पर जो निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 ने इस प्रार्थना पत्र मं वर्णित उक्त आराजियात पर आवागमन हेतु सुखाधिकार होने बाबत एक वाद पत्र माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा में प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 51/2005 होकर निर्णय दिनांक 23.3.2011 को किया गया जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 का वाद पत्र खारिज कर दिया, इस पर रेस्पोडेण्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील माननीय अपर जिला न्यायालय शाहपुरा में प्रस्तुत की जिसका भी निर्णय दिनांक 7.12.2011 को करते हुए अपील खारिज की जा चुकी है एवं उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। इस प्रकार अपीलाण्ट की आराजी में कोई रास्ता नहीं है। फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 ने माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो किसी प्रकार चलने योग्य नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट उसी दिन तलब की जिसमें अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बिना ही आनन–फानन में रिपोर्ट बनाई गई जबकि मौका पर्चा में यह लिखा गया है कि प्रतिवादी अर्थात अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा अर्थात अपीलाण्ट को मौके की स्थिति देखते समय कोई सूचना नहीं दी गई एवं रिपोर्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 ने मिलाभगती पूर्वक मनमकसूद तौर पर तैयार करवाई है । जो मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में दिये बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार से जो मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है वह प्रत्यर्थीगण ने अपनी सुविधा के अनुसार तैयार करवाई है । जिसमें यह अंकित नहीं किया गया है कि मौके पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर वर्तमान में चल रहा है। राजकीय रास्ते में लघुतम रास्ता होना चाहिये । प्रत्यर्थीगण को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है वे आराजी नम्बर 221 गैर मुमकिन रास्ते से होकर आराजी नम्बर 220 जो कि सिवायचक दर्ज रेकार्ड है में से होकर अपनी आराजी तक पहूँच सकते हैं। सिवायचक आराजी में से भी रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण अपीलाण्ट को परेशान करना चाहते हैं इसलिए उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि अपीलार्थी/विपक्षी को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसके अनुसार अपीलार्थी की भूमि के दो टुकडे हो जायेगें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 175 व 178 में रास्ता अंकित किये जाने बाबत प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जबकि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को पूरे रास्ते का अनुतोष मांगना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया जाये। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण ने नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी का यह कथन असत्य है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने के लिए अपीलाण्ट/विपक्षी को कई बार नोटिस भेजे गये थे। धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण 90 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण अपनी आराजी नम्बर 155, 156, 157,158 व 165 पर पहूँचने के लिए आराजी नम्बर 184 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है उस पर होकर उसके उपरान्त स्वयं की आराजी नम्बर 175 व 178 में होकर अपीलाण्ट की आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 179 व 180 में अवस्थित 10 फिट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में उसी रास्ते के लिए उपयोग में ली गई भूमि को ही रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। स्वयं अपीलार्थी भी प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 175 व 178 में से होकर आता जाता है। अपीलाण्ट ने वर्ष 2014 में ही व्यवधान उत्पन्न किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रास्ते के विवाद के निस्तारण हेतु 2005 से ही प्रकरण लंबित चल रहे थे । वर्ष 2012 में नये संशोधन से प्रत्यर्थीगण को उम्मीद बंधी थी। जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है उसमें भी पटवारी हल्का द्वारा अन्य वैकल्पिक रास्ता होने का कथन अंकित नहीं किया है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए 10 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी 10 फिट चौडा रास्ता दिये जाने का ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आर आर टी 2015 (2) पेज 1003 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सिविल न्यायालय का निर्णय सुखाधिकार से संबंधित होने पर राजस्व न्यायायल की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए की शक्तियों के प्रयोग में बाधक नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 155, 156, 157,158 व 165 पर पहूँचने के लिए आराजी नम्बर 184 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है उस पर होकर उसके उपरान्त स्वयं की आराजी नम्बर 175 व 178 में होकर अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में अवस्थित 10 फिट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करने का कथन करते हुए अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में अवस्थित 10 फिट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करने का कथन कर अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में 10 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

16. अपीलार्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई। उसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2014 को अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस जारी किया गया था। जिसकी पुश्त पर संजय सोमाणी के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया गया है कि " अप्रार्थी के पुत्र को तामील दिया । " जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसके संजय नाम का कोई पुत्र नहीं है । इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा राशनकार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसका अवलोकन किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । जिसमें वैभव कुमार बहेडिया अपीलार्थी के एक पुत्र निलय बहेडिया जिसकी उम्र 12 वर्ष अंकित की गई है एवं दूसरे पुत्र का नाम सिद्धार्थ बहेडिया अंकित किया गया है जिसकी उम्र 6 वर्ष दर्शायी गई है। उक्त दोनों ही पुत्र अवयस्क है। चूंकि जब अपीलार्थी के संजय सोमाणी नामक पुत्र ही नहीं है तो अपीलार्थी को जारी उक्त नोटिस की प्रोपर तामील नहीं मानी जा सकती है। अपीलार्थी का कथनि कि उसे नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। बखूबी साबित होता है।

18. चूंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करना अनिवार्य होता है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई थी जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था।

19. जहॉ तक प्रत्यर्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड में सुखाधिकार हेतु वाद प्रस्तुत करनेएवं बाद विचारण सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद खारिज किये जाने का प्रश्न है । न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1003 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल न्यायालय का निर्णय सुखाधिकार से संबंधित होने पर राजस्व न्यायायल की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए की शक्तियों के प्रयोग में बाधक नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थीगण द्वारा यदि सिविल न्यायालय मे सुखाधिकार हेतु वाद प्रस्तुत किया गया हो एवं उसमें बाद विचारण यदि प्रत्यर्थीगण का वाद पत्र खारिज किया गया हो तो भी राजस्व न्यायालय उस निर्णय से बाध्य नहीं है।

20. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए में लंबित प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समरी इन्क्वायरी करनी चाहिये । परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समरी इन्क्वायरी नहीं की गई है कि प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं ?

21. राजस्व रेकार्ड नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थी को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए आराजी नम्बर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है वे आराजी नम्बर 221 गैर मुमकिन रास्ते से होकर आराजी नम्बर 220 जो कि सिवायचक दर्ज रेकार्ड है में से होकर अपनी आराजी तक पहूँच सकते हैं। सिवायचक आराजी में से भी रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है परन्तु चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समरी इन्क्वायरी नहीं कराई गई है एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए इस तथ्य के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है।

22. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 155, 156, 157,158 व 165 पर पहूँचने के लिए आराजी नम्बर 184 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है उस पर होकर उसके उपरान्त स्वयं की आराजी नम्बर 175 व 178 में होकर अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में अवस्थित 10 फिट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करने का कथन करते हुए अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में अवस्थित 10 फिट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करने का कथन कर अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 179 व 180 में 10 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि आराजी नम्बर 179 व 180 में ही रास्ता दर्ज किये जाने से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग केवल मात्र प्रत्यर्थीगण ही कर सकेंगे जबकि रास्ते को राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज किया जाता है। यदि रास्ता दर्ज किया जाना आत्यंतिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवश्यक भी हो तो भी स्वयं प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 175 व 178 में भी रास्ता दर्ज किया जाना चाहिये ।

23. जहॉ तक प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारित किये जाने का प्रश्न है । राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत हों अथवा राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो। जबकि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.3.2015 को ही एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी।

24. चूंकि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई है। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आत्यंतिक आवश्यकता के बिन्दु पर कोई विचारण नहीं किया गया है एवं समरी इन्क्वायरी में यह तथ्य सामने नहीं आ पाया है कि प्रत्यर्थीगण के पास अपनी आराजी तक पहूॅचने के लिए खसरा नम्बर 221, 222 गैर मुमकिन रास्ता से होकर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं ? अतः अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त न होने व समरी इन्क्वायरी अपूर्ण होने से अपीलाधीन आदेश में पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

25. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं इस बाबत समरी इन्क्वायरी कराने के उपरान्त उपलब्ध दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.6.19 को उपस्थित रहे।

26. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
संजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा